अध्याय-34

संपत्ति संबंधी मामलों और पट्टा प्रशासन के संबंध में विधिक राय

मामला- 1 क्या कोई स्वार्जित संपत्ति पट्टाधारी (उसके अपने नाम में पट्टा न कि एचयूएफ का कर्ता) अपनी संपत्ति शपथपत्र के घोषणा विलेख द्वारा एचयूएफ में दे सकता है जिसमें वह, उसकी पत्नी, लड़के/लड़कियां हों।

मामला-2 क्या पुष्टिकर्ता विक्रेता के नाम वाले बिक्री विलेख को स्वीकार किया जा सकता है।

मामला-3 क्या त्याग विलेख के आधार पर नाम प्रतिस्थापित किया जा सकता है अथवा विभाजन विलेख बनाया जा सकता है।

मामला-4 क्या दस्तावेज पर साक्षियों द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य है।

मामला-5 एक वैध विल (वसीयत) की पूर्वापेक्षा क्या है?

मामला-6 यदि उप-विभाजन अनुमत्य नहीं है तो क्या माप और सीमांकन द्वारा संपत्ति का विभाजन करने वाले विभाजक विलेख को स्वीकार किया जा सकता है।

मामला-7 क्या किसी पारिवारिक संस्था द्वारा प्रबंधित निजी कंपनी लिमिटेड को पट्टे पर दी गई संपत्ति को न्यायालय द्वारा दिए गए मध्यस्थ पंचाट के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के नाम में दाखिल खारिज किया जा सकता है; यदि हां तो क्या न्यायालय की डिक्री के लिए पंजीकरण की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी पक्षकार न्यायालय में पंचाट का विरोध नहीं करता है।

मामला-8 हिन्दू धर्म की महिला में संपत्ति के उत्तराधिकार को कैसे शासित किया जाता है?

मामला-9 क्या श्री नाथू राम द्वारा दिनांक 5.12.1991 को निष्पादित विल को प्रतिस्थापन करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं, क्योंकि वह तिथि विशेष को संपत्ति का पट्टाधारी नहीं था।

मामला-10 क्या किसी नाबालिग के पक्ष में संविदा की जा सकती है?

मामला 11 यदि प्रशासक की सहमति शपथ पत्र जारी किए बगैर मृत्यु हो जाती है तो क्या लाभार्थी के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा सकता है।

मामला-12 क्या विल में दिए गए अन्य लाभार्थियों के उत्तराधिकारियों के नामों के साथ-साथ लाभार्थी के पक्ष में संपत्ति का प्रतिस्थापन किया जा सकता है।

मामला-13 क्या किसी तृतीय पक्षकार के पक्ष में विक्रेता द्वारा पहले निष्पादित मुख्तारनामा के होते हुए खुद विक्रेता द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख मुख्तारनामा का विवक्षित प्रतिसंहरण होगा।

मामला-14 क्या ऐसे मामले के लिए विभागीय प्रक्रिया में यथाविहित अनिवार्य शपथपत्रों की अपेक्षा के बगैर वर्ष 1936 के अधिनियम 45 की धारा 29 के अंतर्गत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के महाप्रशासक द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर दाखिल खारिज किया जा सकता है।

मामला-15 क्या किसी 'विल' के अंतर्गत सृजित निहित हित को जारी किया जा सकता है चाहे यह संपत्ति में आजीवन हित वाले फर्स्ट टेकर की नियुक्ति की शक्ति के अध्यधीन हो।

मामला-16 क्या अत्यधिक मानसिक मंदता से ग्रस्त कोई व्यक्ति विधिक उत्तराधिकारी के रूप में अपने नाम में अचल संपत्ति रखने में असमर्थ है। क्या अत्यधिक मानसिक मंदता के कारण दिवंगत आबंटी की विधिक उत्तराधिकारियों में से आवेदक द्वारा श्री चांद का नाम हटाना सही है।

मामला-17 क्या माध्यस्थम पंचाट, जिसे उच्च न्यायालय का नियम बनाया गया है विभाग पर बाध्यकारी है क्योंकि विभाग इस याचिका की कोई पार्टी नहीं थी।

क्या पंचाट के संदर्भ में संपत्ति को बेचा जाना अपेक्षित था लेकिन आवेदक उपर्युक्त पंचाट के आधार पर दाखिल खारिज करने पर जोर देता है।

क्या विभाग विधिक उत्तराधिकारियों के शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध कर सकता है अथवा नहीं।

मामला-18 किसी महिला द्वारा अपने पिता अथवा अपनी माता की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति का हस्तांतरणण कैसे करते हैं।

मामला-19 क्या ओंटोरियो प्रदेश के नोटरी पब्लिक के समक्ष निष्पादित दावा परित्याग विलेख को पंजीकरण की जरूरत है।

मामला-20 क्या मृतक पट्टेधारी की पत्नी की बहन उत्तराधिकार के क्रम में आती है।

मामला-21 क्या सह-पट्टाधारी की सहमति आवश्यक है।

मामला-22 क्या पंजीकरण निरसन विलेख द्वारा ही किसी पंजीकृत विलेख को निरस्त किया जा सकती है।

मामला-23 हिन्दू संयुक्त परिवार क्या है?

मामला-24 क्या विल करवाने वाले के पक्ष में संपत्ति का दाखिल खारिज किया जा सकता है।

मामला-25 क्या अपने पति की मृत्यु पर उसकी विधिक उत्तराधिकार किसी विधवा के दावे को इस आधार पर नजरअंदाज किया जा सकता है कि उसे डॉक्टरों द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र में यथा घोषित विकृत घोषित किया गया है।

मामला-26 क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु का अनुमान लगाया जा सकता है।

मामला-27 क्या सह स्वामित्व की अनुपस्थिति में वैध भागीदारी की जा सकती है।

मामला-28 क्या किसी अटार्नी द्वारा पंजीकृत अथवा अनधिकृत पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया जा सकता है।

मामला-29 "निर्मोचन" का अर्थ क्या है?

मामला-30 पंजाब उच्च न्यायालय द्वार प्रदत्त प्रोबेट का प्रभाव क्या है।

मामला-31 वसीयती उत्तराधिकार क्या है और विल के मामले में क्या होता है।

मामला-32 भूमि से संबंधित दस्तावेज को पंजीकृत कहां करवाया जाता है।

मामला-33 क्या वैध रूप से दिए गए उपहार (गिफ्ट) को निरस्त किया जा सकता है।

मामला-34 क्या किसी जीपीए द्वारा अपने खुद के नाम में और "पट्टेधारी के लिए और उसकी ओर से" नहीं निष्पादित बिक्री विलेख स्वीकार्य है।

मामला-35 क्या किसी लड़की के पिता द्वारा अपनी लड़की के पुत्र को गोद लेना दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 से पहले वैध था;

क्या गोद लेने की वैधता की जांच केवल दत्तक पुत्र के विवाह के लिए आमंत्रण के आधार पर ही की जा सकती है।

मामला-36 क्या डीआईजी, सीआईडी, राजस्थान के पत्र व्यवहार और पोस्टमार्टम जांच करने वाले अधीक्षक, जिला अस्पताल, मथुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर जन्म और मृत्यु पंजीयक द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले व्यक्ति की मौत के पर्याप्त साक्ष्य के रूप में विचार किया जा सकता है।

मामला-37 क्या पट्टे पर दी गई संपत्ति के सह स्वामी द्वारा अन्य सह स्वामी के पक्ष में अपने हिस्से को दिया जा सकता है।

मामला-38 क्या किसी तलाकशुदा पत्नी का उसके पूर्व पति की मृत्यु के उपरांत संपत्ति में अधिकार है।

मामला-39 क्या एक या एक से अधिक पट्टेधारी के हितों का अन्य सह पट्टेधारी के पक्ष में निर्मोचन ऐसा अंतरण होता है जिससे अनार्जित वृद्धि से संबंधित सुविधा मिले।

मामला-40 क्या विल के वसीयतकर्ता के पुत्रों द्वारा "विल" का साक्षी बना जा सकता है।

मामला-41 यदि किसी अटार्नी द्वारा बिक्री विलेख पत्र निष्पादित करवाना है तो जीपीए को अवश्य पंजीकृत होना चाहिए।

मामला-42 क्या विदेश में निष्पादित और काउंसलर एजेंट टोक्यो राजदूतावास द्वारा सत्यापित त्यजन विलेख को भारत में इसके पंजीकरण के बगैर स्वीकार किया जा सकता है।

मामला-43 क्या न्यायालय के आदेश के अनुसार सार्वजनिक नीलामी द्वारा किसी ऐसी बिक्री को अंतरण मानना चाहिए जिसमें अंतिम क्रेता सह-पट्टाधारियों में से एक होता है।

मामला-44 क्या गोद लेने के तथ्य को दसवीं के प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकार किया जा सकता है।

मामला-45 क्या विल की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले किसी विदेशी न्यायालय द्वारा प्रदत्त प्रोबेट को भारत में प्रवर्तित किया जा सकता है।

मत 1

उपर्युक्त प्रश्न पर विधि मंत्रालय द्वारा मल्लेस्सापा बनाम मलप्पा, एआईआर 1961 एससी, 1268 के मामले में निर्णय लिया गया था जिसमें स्वार्जित संपत्ति को कॉमन स्टॉक में डालने के दृष्टांत की जांच करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थीः-

"अलग से अर्जित संपत्ति को उसके स्वामी द्वारा स्वेच्छा से और जानबूझकर उपर्युक्त संपत्ति पर से अपने दावे को छोड़ने की स्पष्ट मंशा और इसे संयुक्त परिवार की संपत्ति के साथ मिलाने के उद्देश्य से संयुक्त स्टॉक में डाला गया है, अतः उपर्युक्त संपत्ति संयुक्त परिवार की संपदा का हिस्सा बन जाती है। दूसरे शब्दों में किसी सहदायिक की अलग संपत्ति मालिक के आचरण के कारण अपना अलग गुण खो देती है और उस कॉमन स्टॉक में डाल दी जाती है जिसका यह एक भाग बन गई है। अतः इस सिद्धांत में अनिवार्यतः यह संकल्पना है कि अलग संपत्ति का मालिक एक सहदायिक है जिसका सहदायिकता संपत्ति में हित है और उसकी अपनी अलग संपत्ति को सहदायिकता संपत्ति के साथ मिलाने की आकांक्षा है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जिस आचरण पर संपत्ति मिलान तर्क आधारित है उसे अलग संपत्ति के मालिक की अपनी संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति में परिवर्तित करने की मंशा को स्पष्टतया और संदेहहीनता पूर्वक प्रदर्शित करना चाहिए। उक्त संपत्ति से अर्जित आय को परिवार के सदस्यों को इस्तेमाल करके लाभ उठाने की मंशा मात्र को संपत्ति मिलाने के हस्तक्षेप को औचित्यपूर्ण ठहराना सिद्धांत का आधार सहदायिकता की अलग संपत्ति के अस्तित्व में निहित है।"

अतः संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार की संपत्ति की मौजूदगी स्वार्जित संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति से मिलाने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। कॉमन स्टॉक में डालने पर स्वार्जित संपत्ति संयुक्त संपत्ति का हिस्सा बन जाती है। यदि संयुक्त परिवार में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है तो घोषणा विलेय पत्र वैध नहीं होगा और संपत्ति के अभिलक्षण को परिवर्तित करने पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरी ओर यदि यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य है कि संयुक्त परिवार का अपना संपत्ति का एक कॉमन स्टॉक था तो विलेख पत्र की घोषणा को वैध माना जाएगा और स्वार्जित संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति से अभिलक्षित होने का आशय माना जाएगा।

आयकर अधिकारियों द्वारा हिन्दू अविभाजित परिवार के प्रतिपादन की स्वीकार्यता में निःसंदेह हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के प्रतिपादन का प्रासंगिक साक्ष्य है। लेकिन विभाग आयकर के नियमों द्वारा बाध्यकारी नहीं होगा।

मत 2

प्रश्न यह है कि क्या श्रीमती चंद्रकांता, जो पुष्टिकर्ता विक्रेता है, का विलेख पत्र में एक पक्षकार के रूप में होने का कोई अधिकार था। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री देवसिंह और मूल आबंटी श्रीमती चंद्रकांता के बीच बिक्री करार द्वारा संविदा की विशिष्ट निष्पादन का अधिकार श्रीमती चंद्रकांता के पक्ष में हुआ, जिस पर विचार करने के लिए वह आगे बढ़ी है। अतः वह पुष्टिकारक विक्रेता के रूप में बिक्री विलेख की एक पार्टी बन गई है। मद्रास मुकदमे [1947 मद्रास 335ए (361)(डीबी)] में यह निर्णय लिया गया है कि विशिष्ट निष्पादन किए जाने वाली संविदाएं सुपुर्द करने योग्य हैं। अतः जिस व्यक्ति को विशेष निष्पादन करने का अधिकार है वह इसे विधिवत विचार करके अंतरित कर सकता है।

उपर्युक्त दृष्टिकोण को देखते हुए मुझे विक्रय विलेख में ऐसी कुछ भी अस्पष्टता दिखाई नहीं देती है जो इसे अस्वीकार्य बनाती है।

मत 3

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पट्टे पर ली गई संपत्ति को माप और सीमांकन द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। यदि अनुभाग स्वयं विभाजन विलेख के बारे में पूछेगा तो इससे माप और सीमांकन द्वारा पट्टे पर ली गई संपत्ति को विभाजित करने से इनकार करने के लिए भविष्य में इस विभाग के प्रति विबंधन हो सकता है। यह निम्नानुसार "हिन्दू कानून के सिद्धांत" (15वां संस्करण), पैरा 322 में श्री मुल्ला की पुस्तक में प्रतिबिम्बित होता हैः

"यदि एक बार पक्षकारों के बीच करार अथवा अन्यथा द्वारा हिस्सा निर्धारित हो जाता है तो विभाजन पूरा हो जाता है। इस प्रकार से निर्धारित हिस्सों के उपरांत पक्षकार माप और सीमांकन द्वारा संपत्ति को विभाजित कर सकते हैं अथवा वे मिलजुल कर रह सकते हैं और संपत्ति का एक साथ मिलकर पहले की भांति उपभोग कर सकते हैं। लेकिन वो जो भी कुछ करते हैं, इससे उनके उपभोग के तरीके पर प्रभाव पड़ता है लेकिन उनके हिस्से निर्धारित होते हैं और इसलिए पक्षकार संपत्ति को काश्तकारों के रूप में धारित करते हैं। यदि अविभाजित परिवार द्वारा संयुक्त काश्तकारी का कन्वर्जन अविभाजित परिवार के सदस्यों की कॉमन काश्तकारी में हो तो अविभाजित परिवार उस करार की विषयवस्तु से संबद्ध संपत्ति के संदर्भ में विभाजित परिवार बन जाता है और उसके हित और अधिकार अलग-अलग होते हैं। हालांकि इस वास्तविक विभाजन

का अनुसरण तत्काल नहीं किया जाता है। इसका दावा अलग अधिकार की वजह से किसी भी समय किया जा सकता है।"

तथापि, संयुक्त नाम की संपत्ति में सभी की हिस्सेदारी को दाखिल खारिज करवाना हमेशा सुरक्षित रहता है और यदि त्यजन विलेख है तो उस व्यक्ति के नाम में दाखिल खारिज करवाना चाहिए जिसके नाम में त्यजन विलेख बनवाया गया है। लेकिन श्री मुल्ला द्वारा उनकी उपर्युक्त पुस्तक में की गई उपयुक्त चर्चा को देखते हुए हमें विभाजन विलेख से बचना चाहिए।

[एम-85-86 डब्ल्यूपीएन]

मत 4

दस्तावेज में साक्षियों द्वारा सत्यापन संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम में यथाप्रदत्त एक महत्वपूर्ण अवयव है। सत्यापन के बगैर किसी भी दस्तावेज के पंजीकरण से सत्यापन की अपेक्षा पूरी नहीं हो सकती है। अतः दो साक्षियों के हस्ताक्षर के बगैर बिक्री विलेख को वैध नहीं माना जा सकता है चाहे वह पंजीकृत हो।

मत 5

वैध विल की पूर्वापेक्षा निम्नलिखित हैः

i. संविधि के अनुसार विधिवत निष्पादन।
ii. एनिमस टेसटान्डी।
iii. प्रति संहरणीयता।
iv. संपत्ति का निस्तारण।

बेहतर वसीयत बनाने के लिए अपेक्षित दूसरी चीज यह है कि इसे करने से पहले दोनों इसके लिए तैयार हों, एनिमस टेसटान्डी अर्थात निष्तारण हेतु तत्पर हो, दृढ़ संकल्प हो और वसीयत करने के लिए कृत संकल्प हो; अन्यथा वसीयत अवैध होगी। चूंकि वसीयत के लिए मस्तिष्क का होना जरूरी है न कि शब्दों का अतः यह विल को जीवन प्रदान करता है; क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जल्दबाजी में, बिना विचार विमर्श किए हुए, आकस्मिकता पूर्वक, डींग हांकते हुए और

गंभीर न होते हुए यह कहता है कि अमुख व्यक्ति उसका निष्पादक होगा अथवा उसके पास उसकी सारी चीजें होंगी अथवा वह अमुख को वह सामान देगा, तो यह उसकी विल नहीं है; इसको माना नहीं जाएगा।

लिस्टर बनाम स्मिथ, 282=33 एलजे 29; त्रिविलियोन बनाम त्रिविलियोन आई फिल, 149; निकोलस बनाम निकोलस आदि मुकदमों के अवलोकन से यह पता चलता है कि हालांकि किसी दस्तावेज पर कोई वसीयत है और वह विधिवत निष्पादित है तथापि, इसे किसी भी एनिमस टेस्टान्डी के बगैर मृतक द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है अथवा दूसरे शब्दों में यह अवैध विल के रूप में निष्पादित मानी जाएगी। ऐसे मामले में जैसा कि दिखाई दे सकता है कि यह तत्काल में की गई कार्रवाई है अथवा किसी संपार्श्विक उद्देश्य के आशय के विपरीत एक निष्कर्ष है और यह संपत्ति के निष्तारण के रूप में गंभीरतापूर्वक कदापि अभिप्रेत नहीं है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि एनिमस टेस्टान्डी ऐसा मुख्य मानदंड है जिसके आधार पर किसी भी दस्तावेज को एक विल के रूप में माना जा सकता है अन्यथा इसे एक अवैध अनुवाद अवैध दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी वस्तु की मौजूदगी सिद्ध हो जाती है तो इसे सीधे-सीधे निरस्त किया जा सकता है।

मद 6

कल्याणी बनाम नारायणन एआईआर 1980 एससी 1173, यह वैध ठहराया गया था कि हिन्दू अविभाजित परिवार के अन्य प्रबंधकों अथवा एक सामान्य सहदायिक के अनुरूप मिताक्षर विधि द्वारा कवर किए गए और अपने पुत्रों से युक्त हिन्दू पिता अपने पुत्रों और अपने बीच अथवा अपने पुत्रों के बीच परस्पर उनकी सहमति के बगैर विभाजन करने की वृहत्तर शक्ति का उपभोग करता है तथा माप और सीमांकन द्वारा विभाजित करने एवं अपने प्रत्येक पुत्र को उसका हिस्सा बांटने तथा खुद को अपना हिस्सा लेने के लिए वृहत्तर शक्ति का शुरूआती कदम निश्चित रूप से संयुक्त परिवार की उस दशा को विकृत करने की ओर होगा जो माप और सीमांकन द्वारा संपत्ति के विभाजन से पैदा हुई है अथवा उसके साथ-साथ चली है। हिन्दू विधि में विभाजन का अर्थ यह नही है कि विशिष्ट हिस्सों में सहजता से संपत्ति का बंटवारा हो जाए। इसमें मालिकाना हक का बंटवारा और संपत्ति का बंटवारा दोनों शामिल हैं।

[एल I.9/2(6)/91]

मद 7

कंपनी अधिनियम के खंड 2 धारा 2 में कंपनी शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है "कंपनी का अर्थ है कंपनी अधिनियम अथवा मौजूदा कंपनी के अंतर्गत गठित अथवा पंजीकृत कंपनी"। किसी भी कानून में कंपनी एक "विधिक संस्था" है जो अपने सदस्यों के जीवनकाल से परे जीवन्त रहती है और अलग होती है। सालोमन बनाम सोलोमन एंड कंपनी मामले में यह वैध ठहराया गया था कि "किसी भी विधिक व्यक्ति की भांति कंपनी भी कानूनी रूप से एक संस्था होती है जो अपने सदस्यों से अलग होती है, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति स्वयं समर्थ होती है और निरंतर उत्तराधिकारी की क्षमता से युक्त होती है"। एक विधिक व्यक्ति होने के नाते कंपनी अपने स्वयं के नाम में संपत्ति ले सकती है, उपभोग कर सकती है अथवा उसका निपटान कर सकती है। कंपनी अपनी पूंजी और परिसंपत्तियों की स्वामी होती है। इसके शेयर होल्डर कंपनी की संपत्ति के संयुक्त स्वामी अथवा निजी स्वामी नहीं होते हैं। "कंपनी ऐसा वास्तविक व्यक्ति होता है जिसमें इसकी सारी संपत्ति निहित होती है और जिसके द्वारा यह नियंत्रित, प्रबंधित होती है और इसका निपटान किया जाता है" (मैसर्स बच्चा एफ गुजगार बनाम आयकर आयुक्त बॉम्बे, एआईआर 1955 एससी 74)। आर.टी. पैरूमल बनाम एच. जॉन डेविन, एआईआर 1960 मद्रास में माननीय न्यायमूर्ती ने यह टिप्पणी की थी कि "कोई भी सदस्य कंपनी के अस्तित्व अथवा इसके बंद होने पर कंपनी की संपत्ति का स्वयं स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता है।"

यह भी देखा जा सकता है कि समावेशन के प्रमाण पत्र से कंपनी एक विधिक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में आती है और कंपनी की सारी पूंजी और परिसंपत्तियां कंपनी की होती न कि इसके सदस्यों/शेयर होल्डरों की।

मद 8

हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 15 महिला हिन्दू की संपत्ति में उत्तराधिकार से संबंधित है। धारा 15, खण्ड 1, उपखण्ड (क) में महिला हिन्दू के उत्तराधिकारियों की सूची है जिसमें पुत्र, पुत्रियां और पति शामिल है। उपखण्ड (ख) में "पति के उत्तराधिकारियों" की सूची का प्रावधान है।

पति के उत्तराधिकारियों से संबंधित शब्द हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 में परिभाषित पुरुष हिन्दू के उत्तराधिकारियों के संदर्भ में देखे जा सकते हैं, पहली प्राथमिकता श्रेणी-I के उत्तराधिकारियों को दी जाती है जिसमें पुत्र, पुत्री, माता, विधवा, मृतक पुत्र का पुत्र, मृतक पुत्री की पुत्री, मृतक पुत्र के मृतक पुत्र का पुत्र, मृतक पुत्र के मृतक पुत्र की पुत्री और .....

की विधवा (नौ) श्रेणियां शामिल हैं। श्रेणी-1 में एकल उत्तराधिकारी अर्थात पिता शामिल है, श्रेणी-2 में पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री, भाई और बहन शामिल हैं। महिला हिन्दू के पति का भाई होने के नाते देवर श्रेणी-2 की संख्या 3, वर्ग 3 के उत्तराधिकारी पर आएगा। श्रेणी-I और श्रेणी-II मद-2 में सूचित उत्तराधिकारी न होने पर भाई को उत्तराधिकार की सीधी पंक्ति में रखा जा सकता है।

[19/116-116ए, एलपीएन]

मत 9

संदर्भित नोट से यह प्रतीत होता है कि पट्टा विलेख श्री नाथूराम वसीयतकर्ता के नाम में दिनांक 24.3.1992 को निष्पादित किया गया था। यह भी प्रतीत होता है कि श्री नाथूराम की दिनांक 4.7.1993 को मृत्यु हो गई थी।

भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 90 में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"जब तक किसी विल अथवा संपत्ति में निहित वर्णन, कोई उपहार विल की मंशा के प्रतिकूल प्रतीत न हो तब तक इसे ऐसी संपत्ति के संदर्भ के रूप में माना जाएगा जो वसीयतकर्ता के मृत्यु के समय दिया गया था।"

यह विल की विधि के स्थापित सिद्धांतों में से एक है कि कोई भी विल वसीयतकर्ता की मृत्यु होने की तारीख से प्रभावी होती है न कि उसके निष्पादन की तारीख से। धारा 90 के अनुसार संपत्ति के वर्णन, विल में शामिल वसीयत की विषय-वस्तु को ऐसी संपत्ति का संदर्भ देने और उसमें ऐसा शामिल होना माना जाएगा जो जब तक विल में व्यक्त मंशा के प्रतिकूल न हो तब तक वसीयतकर्ता की मृत्यु की समय का दशा का वर्णन कर सके।

मौजूदा मामले को उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार निपटाया जा सकता है।

मत 10

संपत्ति का स्थानांतरण अधिनियम की धारा 7 में यह प्रावधान है कि "हस्तांतरणीय संपत्ति हेतु पात्र और संविदा हेतु सक्षम प्रत्येक व्यक्ति ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए सक्षम होता है" लेकिन इस अधिनियम में यह कहीं भी नहीं बताया गया है कि संविदा हेतु असमर्थ व्यक्ति संपत्ति

का हस्तांतरणकर्ता के रूप में असमर्थ है। नाबालिग के पक्ष में हस्तांतरण विभिन्न मोर्चे पर होता है। किसी भी नाबालिग, जिसमें धनराशि का भुगतान कर दिया है, के पक्ष में बिक्री अथवा रेहन अथवा बिक्री के द्वारा विधिवत निष्पादित हस्तांतरण वैध नहीं है और नाबालिग अथवा उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा प्रवर्तित होता है।

मौजूदा मामले में यह प्रतीत होता है कि यह फ्रीहोल्ड संपत्ति का क्रय नहीं है अपितु संपत्ति में केवल एक लीजहोल्ड अधिकार है। संपत्ति का स्वामित्व अभी भी विभाग के पास ही है। पट्टा नाबालिग पर भुगतान अदा करने और परिपाटियां निभाने का दायित्व डालता है। परिणामस्वरूप यह वैध ठहराया जाता है कि नाबालिग को दिया गया पट्टा अवैध है। (प्रमिला बाली दास बनाम जागेशर, एआईआर/- 1918-पीएटी-626) इस सिद्धांत का केवल एक ही अपवाद है कि ऐसे स्थानांतरणों के संबंध में न्यायालय द्वारा विधिक अभिभावकों की नियुक्ति की जाए। अतः मौजूदा मामले में नाबालिग के पक्ष में लीजहोल्ड अधिकार से संबंधित बिक्री अनुमति जारी करना अपेक्षित नहीं है।

[स्टॉल नं. 7, रानी झांसी मार्केट]

<u>मत 11</u>

ऐसे मामले जिनमें निष्पादक की सहमति शपथ पत्र जारी करने के बगैर मृत्यु हो गई हो, विभाग विधि और न्याय मंत्रालय की दिनांक 31.8.90 की फाइल सं. एल-I-9/80(35-36)/89, संपत्ति नं. 69-71, पंचकुइया रोड में दी गई सलाह के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। इस मामले में वसीयतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। उसने अपनी विल के प्रशासन के लिए दो निष्पादकों की नियुक्ति की जिसमें से एक उसकी पुत्रवधू थी। अन्य दो निष्पादक उसका पति और उसका पुत्र थे। निःसंदेह उनकी भी और उसकी मृत्यु होने से पहले मौत हो गई, परन्तु इन्होंने दाखिल खारिज प्राधिकारियों के समक्ष इस आशय की स्वीकृति का पत्र जारी नहीं किया कि लाभार्थी के नाम में दाखिल खारिज की जाने वाली संपत्ति के लिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी।

दाखिल खारिज एक प्रशासनिक कार्य है। दाखिल खारिज करने वाले प्राधिकारी यह संतुष्टि होने पर संपत्ति का दाखिल खारिज कर सकता है कि संपत्ति का हक लाभार्थी को दिया गया था। मुझे ऐसा कोई कारण नहीं मिलता जिससे कि उसकी संतुष्टि न हो क्योंकि विल के संबंध में एक

प्रोबेट दिया जा चुका है। इसका अर्थ यह है कि यह विल असली थी। अतः दाखिल खारिज करने वाले प्राधिकारी लाभार्थी के पक्ष में संपत्ति का दाखिल खारिज कर सकता है।

मत 12

जहां तक विल की विधिक स्थिति का संबंध है यह स्पष्ट है कि विल में दिए गए नाम वाले लाभार्थी विल के अतंर्गत संपत्ति के वास्तविक दावाकर्ता हैं। मौजूदा विल में यह प्रतीत होता है कि इस संपत्ति को मूल पट्टाधारी द्वारा अपने दो पुत्रों अर्थात बलदेव राज और धर्मवीर को वसीयत में दिया गया था। ऑफिस नोट से यह पता चलता है कि श्री बलदेव राज की मृत्यु हो गई और इनके पीछे उनकी विधवा, पुत्र और पुत्री रह गए। ऑफिस नोट से यह भी पता चलता है कि मूल पट्टेधारी की भी मृत्यु हो गई थी। इन परिस्थितियों में मूल पट्टाधारी की पत्नी की मृत्यु के उपरांत संपत्ति को विल में नाम वाले लाभर्थियों को ही हस्तांतरित किया गया। श्रीमती तेहली बाई की मृत्यु के उपरांत संपत्ति को एक समान भागों में विल में दिए गए नाम वाले लाभार्थियों में बांटा गया, क्योंकि विल मूल पट्टाधारी की मृत्यु होने की तारीख से प्रभावी होगी न कि सीमित मालिकों की तारीख से। विभाग के नोट से यह भी पता चलता है कि श्री बलदेव राज के अन्य विधिक उत्तराधिकारी, दिवंगत लाभार्थी ने पंजीकृत त्यजन विलेख के जरिए अपनी माता, श्रीमती कैलाश विधवा के पक्ष में अपनी हिस्सेदारी का त्याग कर दिया है, अतः वह श्री बलदेव राज के आधे हिस्से की पात्र बन गई है और इस संपत्ति को सामान सूची के उपयुक्त प्रशासन और प्रस्तुत करने तथा बकायों का भुगतान करने, जिसे इसमें विहित समय-सीमा के अंतर्गत न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, के बारे में लिखित में दिनांक 9.10.1990 के जिला न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन के संदर्भ में आवेदक द्वारा सत्यापन के अध्यधीन दोनों लाभार्थियों के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा सकता है।

मत 13

यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि सिद्धांत द्वारा अटॉर्नी को प्रत्यायित किसी भी कार्य का व्यक्तिगत रूप से प्रयोग हो तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को पूर्णतया रद्द किया जा सकता है।

मत 14

उपर्युक्त प्रमाण पत्र में यह विदित है कि "उक्त श्री राम कक्कड़ इसके द्वारा उक्त मृतक द्वारा छोड़े गए यहां उल्लिखित उपर्युक्त संपत्तियों को प्राप्त करने निर्मुक्त करने और उन पर कार्रवाई करने हेतु पात्र हैं और उक्त श्री राम कक्कड़ विधि के अनुसार उक्त मृतक की संपदा को प्रशासित करने की शपथ लेते हैं।"

एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एक्ट की धारा 29 में यह निर्धारित है कि "जब भी कोई व्यक्ति किसी भी हालत में परिसंपत्तियां छोड़कर मर जाता है और ऐसी हालत में एडमिनिस्ट्रेटर जनरल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिसंपत्तियां, जिसमें सरकारी बचत खाते में जमा की गई कोई भी धनराशि अथवा भविष्य निधि अधिनियम लागू होने वाले प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी भविष्य निधि में जमा की गई धनराशि शामिल नहीं है, परिसंपत्तियों का मूल्य मृत्यु होने की तारीख को उस मूल्य से ज्यादा नहीं होना चाहिए (15000/- रुपए) जो वह किसी व्यक्ति को दे सकता हो, ऐसी परिसंपत्तियों में हित होने के रूप में ऋणदाता के रूप की बजाय अन्यथा दावा कर सकता हो अथवा इसके विधिवत प्रशासन में उसके हाथ से लिखा हुआ एक प्रमाण पत्र हो जिसमें दावाकर्ता पूरी राशि से अनधिक (15000/- रुपए) राशि के अनुरूप मृतक द्वारा छोड़ी गई इसमें उल्लिखित इसकी परिसंपत्तियां हासिल कर सके।"

एडमिनिस्ट्रेटर अधिनियम की धारा 32 में धारा 29 अथवा धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त पुराने प्रमाण पत्र निर्धारित हैं और इसमें ऐसे प्रमाणपत्रों में विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों के संबंध में कुछ शक्तियां और कर्त्तक होंगे और ये कुछ ऐसी देयताओं के अध्यधीन होंगे जो अगर उसे प्रशासन पत्र दिया गया होता तो वह उनके अध्यधीन होता।" उपर्युक्त धारा से यह स्पष्ट है कि एडमनिस्ट्रेटर जनरल अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत जारी प्रमाणपत्रों का प्रभाव केवल प्रश्नगत परिसंपत्तियों के संबंध में शक्तियों, दायित्वों तथा देयताओँ तक सीमित है। इसमें कहीं भी प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में अधिकार, मालिकाना हक और हित के बारे में वर्णन नहीं है।

ए.आई.आर. 1929 पीएटी-356 कमल प्रसाद बनाम मुरली मनोहर तथा चेट्टी बना चेट्टी 1916 एसी 603 में यह वैध ठहराया गया था "कि प्रशासन निष्पादन प्रदान करना मालिकान हक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। यह केवल निष्पादक के अधिकार का फैसला करता है।" भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा मुख्यधारा 218 के अंतर्गत निष्पादक के पत्र के शीर्षक पर कार्यवाही करते समय डॉ. पारस दीवान ने अपनी लॉ आफ इंटेस्टेट और टेस्टेमेंटरी सक्सेशन पुस्तक में यह जोर दिया है कि इस धारा के अंतर्गत कार्यवाहियों का उद्देश्य मृतक की संपदा के निष्पादन के प्रोयोजनार्थ प्रतिनिधित्व के प्रश्न का निर्धारण करना है न कि उत्तराधिकारी के

प्रतिनिधित्व के प्रश्न का।" उपर्युक्त परिसंपत्तियों को प्राप्त करने, लेने, इन पर कार्यवाही करने तथा इनके प्रशासन हेतु ही पात्र बनाता है और उनकी खरीद-फरोख्त संबंधी मालिकाना हक प्रदान नहीं करता है। अतः उसके नाम को निष्पादक के रूप में दाखिल खारिज किया जा सकता है। विभाग अनुपालन अनुसार अपनी प्रक्रिया करने हेतु स्वतंत्र है तथा उसके नाम की तब तक प्रशासक के रूप में मौजूदा प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिस्थापित कर सकता है जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो, को प्राकृतिक उत्तराधिकार के हित में आवेदक एकमात्र उत्तराधिकार है।

मत 15

इस मामले में प्रश्नगत संपत्ति को आजीवन श्रीमती कमला जैन के नाम में दाखिल खारिज करने का अनुरोध ही मूल पट्टाधारी द्वारा निष्पादित विल द्वारा संपत्ति की उनकी पत्नी श्रीमती कमला जैन को उनके जीते जी तथा तत्पश्चात हमेशा के लिए उनकी पुत्री श्रीमती मंजू के नाम में वसीयत की गई थी। सुश्री मंजू ने अपना हित श्रीमती कमला जैन के पक्ष में निर्मुक्त कर दिया; जो उन्हें श्रीमती कमला जैन, एक आजीवन रूचि धारक, की मृत्यु के उपरांत मिलना। एआईआर 1956 एससी 1395 का अवलोकन निम्नलिखित दर्शाता हैः-
"अधिकार प्राप्त कोई भई व्यक्ति कन्वेंस के रूप में अथवा हित के रूप में सीमित संपदा वाले व्यक्ति को लाभदायक तरीके से निर्मुक्ति की जा सकती है और तदुपरांत यह निर्मुक्ति सीमित संपदा की वृद्धि के रूप में संचालित करती है"- बाकी हिस्से में निहितार्थ हालांकि पहले पाने वाले अर्थात आजीवन संपदा का लेने वाला व्यक्ति की नियुक्ति की शक्ति के अध्यधीन होता है तथापि यह सुपुर्द करने योग्य है। हालांकि विल के अंतर्गत सृजित निहित बाकी शेष हिस्सा हस्तांतरणीय है। यह सारहीन है कि ऐसा अधिकारी संपदा में सृजित पूर्ववर्ती आजीवन हित की समाप्ति पर कब्जे में आता है।

[बी-39, एबी, कालका जी]

मत 16

हिन्दू उत्तराधिकार (अक्षमता हटाना) अधिनियम, 1928 की धारा 2 में यह प्रावधान है "कि हिन्दू विधि के किसी भी नियम अथवा रीति के असंगत होने के बावजूद जन्म से मंदबुद्धि अथवा नासमझ व्यक्ति के अलावा हिन्दू विधि द्वारा शासित अन्य किसी भी व्यक्ति को केवल रोग, विकार, अथवा भौतिक या मानसिक विकृति के कारण संयुक्त परिवार की संपत्ति अथवा उत्तराधिकार के किसी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।"

1928 के अधिनियम से पूर्व, उत्तराधिकार के समय यदि कोई व्यक्ति पागल होता था, चाहे वह जन्म से पागल न हो, उसे उत्तराधिकार प्राप्त करने के अयोग्य करार दिया जाता था। लेकिन पागलपन, जड़बुद्धि होने के आधार पर उत्तराधिकार हेतु किसी व्यक्ति को अयोग्य करार देने के लिए उन्हें यह दर्शाना होगा कि वह सही और गलत के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं हैं। (भगवती सरन बनाम परमेश्वरी आईएलआर (1992), एएलएल, 518)। किसी व्यक्ति के पागलपन की परीक्षा यह है यद्यपि वह सामान्य शब्दों में दिए गए आदेशों को समझने में सक्षम है लेकिन यदि वह अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ है, तो उसे इस मामले में पागल माना जाएगा कि उसे पैतृक संपत्ति में भागीदार बनने से वंचित कर दिया जाए। मिताक्षरा द्वारा शासित हिंदू कानून के तहत, सह-साझेदार के रूप में उसके अधिकार, सह-साझेदारों की मृत्यु के बाद उत्तरजीवियों से उसे पूरी संपत्ति प्राप्त करने से रोकने की योग्यता द्वारा प्रभावित नहीं होते थे। (देवनाथ लेखा, 1946 पीएटी-419)। इसके अतिरिक्त, सुर्ती बनाम नारायण 12-ए530 मामले में यह निर्णय दिया गया था कि जहाँ किसी व्यक्ति को उसकी मानसिक विकृति के आधार पर उसे शामिल न करने की मांग की जाती है, वहाँ आरोप लगाने वाले पर आरोप सिद्ध करने की जिम्मेदारी होती है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 28 के तहत रोग, विकृति आदि से संबंधित मामले भी निपटाए जाते हैं। डॉ. पारस दीवान द्वारा लिखित पुस्तक लॉ आफ इण्टेस्टेट और टेस्टेमेन्ट्री सक्शेसन के पृष्ठ 2.168 पर, मिताक्षरा कानून में निर्धारित अयोग्यता के तौर पर उल्लिखित कुछ रोगों का उल्लेख किया गया है। इसमें जन्मजात और जड़बुद्धि होना शामिल है।

उपर्युक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने की एकमात्र अयोग्यता जन्मजात पागलपन या जड़बुद्धि होना है। प्रस्तुत रिकार्ड की मेडिकल रिपोर्ट में उल्लेख है "अत्यधिक मानसिक मंदता"। उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि यह स्थिति शायद आरंभिक बाल्यावस्था से ही है। इसका अर्थ है कि चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने वाले बोर्ड को यह दृढ़ मत नहीं है कि उसे यह बीमारी बचपन से है जो कि उत्तराधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित करने के लिए अधिनियम के तहत अपेक्षित है।

मेरे विचार से इस संबंध में एक न्यायिक घोषणा करना ही सिर्फ उत्तराधिकार से ऐसे व्यक्तियों को वंचित करने के लिए एक उपयुक्त साक्ष्य होगा।

[सी/77-78, डब्ल्यूपीएन]

मत 17

जहाँ तक बिंदु संख्या 1 का संबंध है, जिस अदालती आदेश में विभाग एक पक्ष नहीं था, उस मामले में वह विभाग पर बाध्यकारी नहीं है।

दूसरे निर्णय के अनुसार संपत्ति को बेचा जाना था और बिक्री की आय को विधिक उत्तराधिकारियों के बीच बांटा जाना था, इसलिए इस निर्णय के आधार पर उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) का दावा नहीं किया जा सकता है।

तीसरे, विभाग इस संबंध में अपनी प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेज मंगाने के लिए स्वतंत्र है।

फिर भी, टिप्पणी से ऐसा लगता है कि यदि न्यायालय का कोई आदेश न हो तो पट्टेदार की मृत्यु के बाद नैसर्गिक उत्तराधिकार की स्थिति में सभी पांच विधि सम्मत उत्तराधिकारियों को, उनके पुत्र और पुत्रियों के तौर पर संपत्ति प्राप्त होगी।

[एल-IV/48/103, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव]

मत 18

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-15 खण्ड (2) के अनुसारः-

"उपखण्ड 1 (क) में कुछ भी उल्लिखित होने के बावजूद किसी हिन्दू महिला द्वारा अपने पिता या माता से उत्तराधिकार में प्राप्त कोई संपत्ति, मृतक के किसी पुत्र या पुत्री के न होने की स्थिति में, उप खण्ड-1 में निर्धारित श्रेणी में उल्लिखित अन्य उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित नहीं होगी बल्कि पिता के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी।

धारा 15 के खंड (2) के अनुसार किसी हिन्दू महिला को अपने पिता या माता से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसके पुत्र व पुत्रियों को हस्तांतरित होगी और पुत्र व पुत्रियों के अभाव में वह पिता के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगी।

[10/14, पूर्वी पटेल नगर]

मत-19

भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ख) के अनुसार "स्थायी संपत्ति के 100 रुपए और उससे अधिक मूल्य के, चाहे निहित या कंटिंजेंट हो, किसी भू-अधिकार या ब्याज को वर्तमान या भविष्य में, सृजित, घोषित, सौंपने, सीमित या रद्द करने के आशय से या संचालित करने वाला अन्य गैर-वसीयत दस्तावेजों को पंजीकृत करना होगा।"

तात्कालिक दावा परित्याग विलेख उनके पति श्री अनिल चावला की मृत्यु के पश्चात् प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में श्रीमती नैन्सी चावला के अधिकार समाप्त कर देता है। वैसे, इस दावा परित्याग विलेख को धारा 17 (1)(ख) के तहत पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता होती है।

भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, "धारा 24, 25 व 26 में निहित प्रावधानों के अधीन, वसीयत के अलावा किसी भी दस्तावेज को, इसके लागू होने की तारीख से चार माह के भीतर उपयुक्त अधिकारी को उस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत न करने पर पंजीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।"

उपर्युक्त विचार विमर्श को देखते हुए, मेरा मत है कि दावा परित्याग विलेख को भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (1)(ख) के तहत अपेक्षा के अनुसार पंजीकृत किया जाना चाहिए।

[आर/804, न्यू राजेन्द्र नगर]

मत 20

पत्नी की बहन उत्तराधिकार प्राप्त करने वालों की श्रेणी में नहीं आती है। इसलिए इस संबंध में विभाग को निर्णय लेना है कि क्या वह कार्यालय आदेश सं. 1/88 दिनांक 1.2.88 के तहत उससे गैर अर्जित बढ़ोत्तरी की प्राप्ति करे।

मत 21

संपत्ति सह-पट्टेदारों के संयुक्त नाम से है। इस प्रकार प्रश्नगत संपत्ति के दोनों ही सह-स्वामी हैं। सह-स्वामी की स्थिति को मोहेश नारायण बनाम नौबत आई.सी.एल.जे. 437; 32-सीएएल. 837 में स्पष्ट किया गया था "सिद्धांत तौर तर प्रत्येक सह-स्वामी का विषयाधीन मामले के प्रत्येक सूक्ष्मतम हिस्से में हितधारिता निहित होती है और उसका हिस्सा कितना भी कम होने बावजूद, प्रत्येक को दूसरे के साथ संयुक्त रूप से संपत्ति प्रत्येक हिस्से का स्वामी होने का अधिकार है।" उपर्युक्त पूर्ववृत्त से स्पष्ट है कि बंटवारा न होने की स्थिति में दोनों सह-पट्टेदारों की प्रश्नगत संपत्ति के प्रत्येक हिस्से में हितधारिता निहित है। इस प्रकार दूसरे सह-पट्टेदार की सहमति तर्कसंगत प्रतीत होती है।

मत 22

भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 50 निर्धारित करती है कि: (I) धारा 17 के खंड क, ख, ग और घ, उप धारा 1 और धारा 18 के खंड क, ख में उल्लिखित प्रकार के प्रत्येक दस्तावेज, यदि पंजीकृत है, तो जहाँ तक उस संपत्ति से संबंधित हर गैर-पंजीकृत दस्तावेज के प्रति, उसमें उल्लिखित संपत्ति का संबंध है, तथा कोई डिग्री या आदेश न होने पर चाहे ऐसे गैर-पंजीकृत दस्तावेज उसी प्रकृति के हों जैसा कि पंजीकृत दस्तावेज है अथवा न हो, प्रभावी होंगे।

उक्त धारा के अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि कोई दस्तावेज, जिसे धारा-17 खण्ड क, ख, ग और घ के तहत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित था अथवा 18 खण्ड क और ख के तहत पंजीकृत किया गया था तो वह उस संपत्ति से संबंधित प्रत्येक गैर-पंजीकृत दस्तावेज के प्रति प्रभावी होगा।

वर्तमान मामले में बिक्री का करार धारा 18 के खण्ड 'ख' के अंतर्गत आता है और चूंकि यह पंजीकृत है, जहाँ तक इसमें उल्लिखित संपत्ति का संबंध है, उक्त संपत्ति से संबंधित प्रत्येक गैर-पंजीकृत दस्तावेज के प्रति वह प्रभावी होगा, चाहे यह कोई निरस्तीकरण डीड हो या कोई अन्य दस्तावेज।

इस प्रकार, एक पंजीकृत डीड को सिर्फ एक पंजीकृत निरस्तीकरण डीड द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है।

मत 23

एक संयुक्त हिंदू परिवार को प्रोफेसर एस. वेंकटरमन द्वारा लिखित हिंदू कानून के पृष्ठ 201 में परिभाषित किया गया है कि "एक संयुक्त हिंदू परिवार में एक पुरुष से जन्मे पुरुष सदस्य हैं, जिसमें उनकी माताओं, पत्नियों या विधवाओं तथा अविवाहित पुत्रियों को सपिण्डाशिप या पारिवारिक संबंध के मूल सिद्धांत के तहत शामिल किया है जो कि इस संस्था का मूल और विशिष्ट लक्षण है (करसन दास बनाम गंगा बाई, 32 बी-479, गोवली बुद्दाना बनाम आयकर आयुक्त, 1966, 60 आई.टी.आर. 293)

मत 24

श्री सुदर्शन दयाल माथुर को वसीयत के उचित प्रबंधन के लिए एक प्रबंधन पत्र प्रदान किया गया था। इस प्रकार वे सिर्फ प्रशासक के तौर पर परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन उनके पास न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना और कानूनी उत्तराधिकारी की तरह संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है।

[25, अबुल फजल रोड]

मत 25

प्रशासनिक विभाग कोई न्यायिक निकाय नहीं है जो कि चिकित्सा प्रमाणपत्रों का आकलन करे और किसी नतीजे पर पहुँचे कि प्रश्नगत व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यह न्यायालय पर है कि वह चिकित्सा प्रमाणपत्र को जारी करने वाले प्रधिकारियों की जांच के बाद, आवश्यक चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर मानसिक स्थिति का आकलन करे।

[39/11, तेहार-II]

मत 26

धारा 107, भारतीय साक्ष्य अधिनियम निर्धारित करता है कि जब यह प्रश्न उठता है कि क्या एक व्यक्ति जीवित है या मृत है और यह दर्शाया गया था वह तीस वर्षों के भीतर जीवित था तो उसे मृत मानने वाले व्यक्ति पर इसे साबित करने की जिम्मेदारी होगी।

धारा 108, भारतीय साक्ष्य अधिनियम निर्धारित करता है कि जब यह प्रश्न उठता है कि क्या एक व्यक्ति जीवित है या मृत है और यह साबित किया गया था कि, वे व्यक्ति जिन्होनें स्वयं उस व्यक्ति के बारे में नैसर्गिक रूप से सुना होगा कि वह जीवित था, उन व्यक्तियों द्वारा सात वर्षों से उस व्यक्ति के बारे में नहीं सुना तो उस व्यक्ति को जीवित मानने वाले व्यक्ति पर इस बात को साबित करने की जिम्मेदारी होगी।

ये पूर्वधारणाएँ सिर्फ सक्षम न्यायिक न्यायालय द्वारा, मृत्यु की पूर्वधारणा को मानने वाले पक्ष द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए तथ्यों पर ही निकाली जा सकती हैं। प्रशासनिक प्राधिकरण सीधे रूप में, बिना किसी न्यायिक घोषणा के, पिछले सात वर्षों से उस व्यक्ति के बारे में नहीं सुने जाने के वजह से उस व्यक्ति को मृत नहीं मान सकता।

[4/19, पश्चिमी पटेल नगर]

मत 27

बंटवारे के संबंध में सबसे प्रमुख बिंदु है कि बंटवारा सिर्फ सह-स्वामी के बीच हो सकता है। यदि किसी संपत्ति के मालिक सह-स्वामी हैं तो सभी सह-स्वामियों के संपत्ति में बराबर अधिकार और समन्वित हितधारिता होगी। सिद्धांत रूप में प्रत्येक सह-स्वामी की संपत्ति के प्रत्येक सूक्ष्मतम हिस्से में रूचि होगी और प्रत्येक को अधिकार होगा, चाहे उसके हितधारिता की मात्रा कुछ भी हो, उसका अन्य सभी के साथ संयुक्त रूप से संपत्ति के प्रत्येक हिस्से पर अधिकार होगा (मोहन नारायण बनाम नौबत, आई-सीएनजे-437:32 सीएएल. 837)। संयुक्त रूप से प्रत्येक स्वामी को पूरी संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार है तथा हितधारिता में अपने प्रत्येक साझेदार के बराबर अधिकार है और अन्य सभी से अधिक है। उसे अपने संपूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति के समान ही साझा संपत्ति के उपयोग और उपभोग का अधिकार है, बस उसे छोड़कर जहां कि उसे सह-साझेदारों के समान अधिकार द्वारा सीमित किया गया है (देवेन्द्र नारायण बनाम नरेन्द्र 23

सीडब्ल्यूएन-900: 29 सीएलजे-504)। प्रत्येक साझेदार को संयुक्त संपत्ति में अपनी हितकारिता को बेचने का अधिकार जब तक कि किसी विधि के तहत ऐसा करने से रोका न गया हो, उदाहरण के लिए मिताक्षरा कानून के तहत एक सह-साझेदार। सह-स्वामित्व की परीक्षा हितधारिता के समन्वय में है। यदि एक व्यक्ति की हितधारिता दूसरे के मुकाबले कमतर या उच्चतर स्तर की है तो दोनों के बीच कोई सह-स्वामित्व नहीं होगा।

मत-28

भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 32, खण्ड (ग) एक एजेन्ट के द्वारा पंजीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में प्रावधान करता है। यह निर्धारित करता है कि "ऐसे व्यक्ति के एजेन्ट, प्रतिनिधि या इसमें बाद में उल्लिखित तरीके से लागू और प्रमाणित पॉवर ऑफ अटॉर्नी द्वारा यथा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा"।

धारा 33 (1) (क) निर्धारित करता है कि "धारा 32 के उद्देश्यों हेतु, निम्नलिखित पॉवर ऑफ अटॉर्नी ही मान्यता प्राप्त होगी (क) पॉवर ऑफ अटॉर्नी को लागू करने के समय यदि प्रमुख व्यक्ति भारत के किसी ऐसे भाग में निवास करता है जहां उस समय अधिनियम लागू है तो जहां प्रमुख व्यक्ति रहता है उस जिले या उप जिले के भीतर रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष पॉवर ऑफ अटार्नी करवानी होगी और प्रमाणित करनी होगी।"

उपर्युक्त प्रावधानों को देखते हुए, कोई जीपीए भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 33(1)(क) के प्रावधानों के अनुसार लागू या प्रमाणित नहीं किया गया है अर्थात पंजीकरण के लिए कोई विलेख प्रस्तुत करने के लिए।

[2 IV/4 ओल्ड डी/एस लाजपत नगर]

मत 29

रिलीज शब्द को लॉ लेक्सिकन के पृष्ठ 1101 में इस प्रकार परिभाषिक किया गया है "किसी कार्रवाई के अधिकार का निर्वाह करने का उपहार जो उसका अन्य अथवा अपनी भूमि पर है।"

मित्रा के विधि शब्दकोष में परिभाषित, रिलीज का शब्द, "किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी संपत्ति पर अपने अधिकार अथवा देवे को छोड़ देना अथवा त्यजन देना है।"

इंडिया स्टाम्प अधिनियम की धार 55 परिभाषित करता है कि, "रिलीज का अर्त यह है कि कोई समाधान (ऐसा रिलीज नहीं जो धारा 25-ए में दिया गया है)" जहां एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा कोई विशिष्ट संपत्ति पर अपना दावा त्याग देता है।

[शॉप सं. 40, खुर्शीद मार्केट]

मत 30

पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा दी गई प्रोबेट एकदम कानूनी और निर्गयात्मक है जैसा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 273 में दिया गया है। मौजूदा मामला कथित धारा के प्रावधान के तहत शामिल किया गया है जिसमें "(क) उच्च न्यायालय अथवा (ख) जिला न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई प्रोबेट और प्रशासन कार्रवाई से संबंधित पत्र देने पर जहां ऐसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित स्थान पर अपने मृत्यु के समय निर्धारित किया था और ऐसे न्यायाधिकार यह प्रमाणित करते हैं कि प्रभावित संपत्ति और संपदा 10,000/- रुपए से अधिक की सीमा से अधिक नहीं हो, अन्यथा अनुमति प्रदान की गई हो, का अन्य राज्यभर में समान प्रभाव रहता है।"

[सी/438, डिफेंस कॉलोनी]

मत 31

जहां तक वसीयतनामा के उत्तराधिकार का संबंध है, यह पूर्णतः वसीयत की शर् द्वारा निर्धारित होता है, न कि सामान्य उत्तराधिकार के नियम से। चूंकि मौजूदा मामले में वसीयत है, और संपत्ति लाभार्थी के वसीयत पर उसके लाभ और उपयोग के लिए सौंप दी जाएगी। माता को संपत्ति का हिस्सा बांटने हेतु सौंपने का प्रश्न केवल उसी मामले में आता है जहां "वसीयत" नहीं होता और उत्तराधिकार, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के कानून के तहत किया जाता है।

(ए-317, डिफेंस कॉलोनी)

मत 32

पंजीकरण अधिनियम की धारा 28 भूमि से संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए प्रावधान प्रदान करता है। कथित प्रावधान के तहत उक्त दस्तावेजों को पंजीकरण के लिए उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसके उप-जिला में पूरा अथवा संपत्ति का कुछ भाग ऐसे दस्तावेज के साथ हो। मौजूदा त्याग विलेख न धारा 28 के अनुसार पंजीकृत है, न ही भारत के किसी भी प्रेसीडेंसी टाउन में पंजीकृत है। जिसके फलस्वरूप विलेख का पंजीकरण, केवल पंजीकरण अधिनियम की धारा के तहत दी गई प्रावधानी के अनुसार किया जाएगा।

(86, एसपीएन)

मत 33

एक बार वैध गिफ्ट बना दिया तथा पंजीकृत कर देने, जिसे देने वाले द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया और स्वामित्व को तद्नुसार सुपुर्द कर दिया हो, उसे रद्द नहीं किया जा सकता। हिन्दू कानून के अनुसार गिफ्ट की प्रमुख विशेषता यह है कि उसे रद्द नहीं किया जा सकता। एक बार गिफ्ट पूरा हो जाने के बाद वह दाता के लिए बाध्यकारी हो जाता है तथा उसे यदि धोखा अथवा अवांछित प्रभाव से प्राप्त नहीं किए जाने पर ही उसे रद्द किया जा सकता है।

मत 34

मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 की धारा 2 में निम्निलिखित हैः-

मुख्तारनामा का दाता, यदि वह सही पाता है और अपने संपय् के नाम, हस्ताक्षर और अपने स्वयं के सील, जहां सील की आवश्यकता है, पर कार्य निष्पादन अथवा कोई आश्वासन संबंधी कार्य अथवा संपत्ति करता है तो दाता के अधिकार के प्राधिकार द्वारा और प्रत्येक आश्वासन, कार्य और संपत्ति का निष्पादन कानून के अनुसार ऐसे प्रभावपूर्ण होगा, जैसे दाता ने अपने नाम, हस्ताक्षर और सील पर स्वंय किया हो।"
इस मामले में मुख्तारनामा विलेख निम्नानुसार हैः-

मैं, मूल राज मल्होत्रा श्री जसवंत लाल खुराना को अपने निम्नलिखित कार्यों, विलेख और कोई अन्य कार्य को अपने नाम और अपनी ओर से करने के लिए अपना जनरल अटार्नी के रूप में नियुक्त करता हूं।"

मुख्तारनामा के उपयुक्त शब्दों में आवश्यक है कि कार्य केवल श्री मूलचंद मल्होत्रा के नाम तथा उसकी ओर से ही किया जाएगा। तथापि, अन्य ओर बिक्री विलेख में उल्लेख होता है किन्तु मुख्तारनामा के शब्दों के अनुरूप नहीं होता।

तथापि, मौजूदा समस्या मुख्तारनामा के उपर्युक्त धारा 2 के तहत शामिल किया गया है किन्तु सावधानी के लिए हम श्री मूल राज मल्होत्रा से श्री रवि कुमार खुराना के पक्ष में मुख्तार द्वारा बनाए गए बिक्री विलेख की पहचान करने के लिए एक शपथ पत्र मांगा जा सकता है।

<u>मत 35</u>

हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के पहले हिन्दू कोड के अनुसार उत्तराधिकार बनाया जाता है। वैध उत्तराधिकार के आवश्यक विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

1. उत्तराधिकार लेने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से उत्तराधिकार लेने हेतु सक्षम होना चाहिए।
2. उत्तराधिकार देने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से उत्तराधिकार देने हेतु सक्षम होना चाहिए।
3. उत्तराधिकार हो रहे व्यक्ति भी कानूनी रूप से उत्तराधिकार होने के सक्षम होने चाहिए।
4. उत्तराधिकार पूर्णतः वास्तविक रूप से देने और लेने के माध्यम से पूरा होना चाहिए।
5. दत्ता होमाम नामक अनुष्ठावन किया गया। हालांकि, इसमें संदेह है कि दत्तक की वैधता के लिए सभी मामलों में दत्ता होमाम अनुष्ठान जरूरी होता है या नहीं।

उत्तराधिकार लेने के संबंध में कानूनी रूप से कुछ प्रतिबंध हों। उनमें से एक प्रतिबंध था कि, "वह लड़का नहीं होना चाहिए जिसकी माता और उत्तराधिकार ले रहे पिता कानूनी रूप से विवाहित न हो, किन्तु इस नियम को बेटी के बेटे, बहन के बेटे और माता की बहन के बेटे के हाल के मामलों में प्रतिबंधित कर दिया गया था।"

उपर्युक्त प्रतिबंध की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि एक पिता अपने बेटी के बेटे को उत्तराधिकारी नहीं बना सकता क्योंकि उसकी माता को अपनी स्वयं की बेटी होने के कारण विवाह नहीं कर

सकता। मौजूदा मामले में ससुर ने अपने दामाद के बेटे को उत्तराधिकार बनाया है। जिसके फलस्वरूप मौजूदा उत्तराधिकार पूर्णतः अवैध है।

हिंदू कोड के तहत वैध उत्तराधिकार की दूसरी विशेषता है कि हिन्दू कोड लड़के को एक परिवार से दूसरे परिवार में हस्तांतरण करने के आशय के साथ लेने और देने की वास्तविक कार्रवाई है। समारोह उत्तराधिकारी प्रक्रिया का अभिन्न भाग था और कानून में इसका प्रतिस्थापन स्वीकार नहीं था। उत्तराधिकार में लेने और देने के लिए जो भी आवश्यक हो, उसमें लड़के को एक परिवार से दूसरे परिवार में सुपुर्द करने के लिए कुछ कार्य होने चाहिए। कानून में यह आवश्यक था कि वास्तविक माता-पिता उत्तराधिकार देने वाले लड़के को दे और उत्तराधिकार लेने वाले माता-पिता को उसे प्राप्त करे। मौजूदा मामले में यह आवश्यक विशेषता भी नहीं है। केवल शादी के कार्ड जो माता-पिता को दर्शाता है को उत्तराधिकार के संगत साक्ष्य के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त विचार विमर्श के आधार पर यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकार की दो वैध विशेषताएं अर्थात उत्तराधिकार लेने वाला पिता, उत्तराधिकार लेने वाले पुत्र की माता से कानूनी विवाहित हो और वास्तविक रूप से देने और लेने का समारोह दोनों अनुपस्थित हैं।

<u>मत 36</u>

जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के माध्यम से आवश्यक बनाया गया है। जहां तक जन्म और मृत्यु का संबंध है, उसे संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाणपत्र के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है।

हाल ही के मामले में आवेदक ने डीआईजी, सीआईडी (अपराध), राजस्थान और अधीक्षक, जिला अस्पताल मथुरा से पत्राचार के माध्यम से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। ये प्रमाण अनुमानित प्रवृत्ति के होते हैं और किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित कते समय किसी भी न्यायिक प्राधिकारी द्वारा विचारार्थ लिया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारी इस संबंध में निर्णय नहीं सुना सकते और इस के कारण वे आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रमाण के आधार पर मृत्यु के तथ्य के संबंध में किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते।

आवेदक से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी किए गए मृत्यु प्रमाणपत्र अथवा न्यायिक प्राधिकारी द्वारा मृत्यु सुनिश्चित करने के आदेश प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

धारा 13(3) निर्धारित करता है, "कोई भी जन्म अथवा मृत्यु जो उसके होने के पश्चात एक वर्ष की अवधि के भीतर पंजीकृत नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म और मृत्यु की सत्यता की जांच करने और निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के आदेश देने के पश्चात ही किया जाएगा।"

मेरे मत से, आवेदक को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 13(3) का संदर्भ लेने की सलाह दी जा सकती है। यह भी महसूस किया गया है कि जहां मृत्यु हुई, वहां के संबंधित प्राधिकारियों वह अस्पताल जहां पोस्टमार्टम हुआ और शव को रखा गया, के अधीक्षक ने कथित अधिनियम के अनुसार संबंधित रजिस्ट्रार को सूचना दे दी होगी। ऐसे मामले में, जहां सूचना नहीं दी गई हो, वहां आवेदक अधिनियम की धारा 13(3) के अनुसार कार्यवाही कर सकता है तथा प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। अन्यथा वह न्यायिक न्यायालय में उपयुक्त समाधान निकाल कर आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।

मत 37

इस मामले को पहले तत्कालीन ए.एल.ए. द्वारा विचार किया गया जिनका मत निम्नानुसार हैः-

"पट्टा दो व्यक्तियों के नाम प्रदान किया गया था (1) चंपा देवी और (2) राजकुमार। एक सह-पट्टाधारी चंपा देवी की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर श्री कृष्ण कुमार सह-पट्टाधारी बन गए। अतः श्री कृष्ण कुमार और राजकुमार समन्वित संपदा के स्वामी है न कि समाधिकारी स्वामी है। एक समन्वित संपदा का स्वामी त्याग विलेख के माध्यम से संवर्धन करने के अधिकार के लिए अपने समान संपदा को हस्तांतरित नहीं कर सकता इसलिए आवेदक को एक विधिवत पंजीकृत हस्तांतरण दस्तावेज अर्थात उपहार दस्तावेज अथवा बिक्री दस्तावेज बनाने की सलाह दी जा सकती है"।

यह देखा जा सकता है कि जहां अधिकारों का संकलन हो जो स्वामित्व को परिभाषित करता है और एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है तो वह संपत्ति का एकमात्र अधिकारी होता है। वह इन सभी अधिकारों का उपयोग कर सकता है अथवा वह कुछ भाग को अन्य के साथ उपभोग अथवा हस्तांतरण कर सकता है, यदि हस्तांतरण, स्वामी के अधिकार का भाग होगा। उदाहरण के लिए पट्टा अथवा गिरवी के माध्यम से तो प्रतिनिधि सीमित अधिकार और हस्तांतरणकर्ता का कुछ सीमा तक स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। किन्तु यदि हस्तांतरण का कुछ लाभ है अथवा स्वयं स्वामित्व का भाग है, तो दोनों हस्तांतरणकर्ता और प्रतिनिधि दोनों संपत्ति में समन्वित लाभ प्राप्त कर्ता और दोनों संपत्ति को सह स्वामी के रूप में रखते हैं। इसी प्रकार जब कई व्यक्ति किसी संपत्ति को समान अथवा असमान भागों में अर्जित करते हैं तो वे ऐसी संपत्ति के सह स्वामी बन जाते हैं। कुछ तरीके होते हैं जिससे सह स्वामित्व प्रभाव में आता है।

सभी सह-स्वामी के संपत्ति में समान अधिकार और समन्वित लाभ होंगे। किन्तु उनके भाग नियत अथवा अनिर्धारित हो सकता है। यदि भाग ज्ञात है तो उनके समान होने की आवश्यकता नहीं है किन्तु भाग ज्ञात अथवा अनिर्धारित हो अथवा भाग समान अथवा असमान हो, प्रत्येक सह स्वामी को उपयोग करने तथा अन्य सह स्वामी के समान अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक सह स्वामी का अन्य सह स्वामी की तरह समान आनंद और स्वामित्व का अधिकार है। प्रत्येक सह स्वामी विषय वस्तु के प्रत्येक अति सूक्ष्म भाग में रुचि रखता है तथा उसके रुचि लेने के प्रमात्रा के बावजूद उसका अन्य सह स्वामियों के साथ संयुक्त रूप से संपत्ति के प्रत्येक हिस्से में अधिकार रखने का पूरा हक है। प्रत्येक संयुक्त स्वामी का संयुक्त रूप से संपत्ति पर उसके सभी साथियों की रुचि तथा अन्य व्यक्तियों की तरह दावे का पूर्ण अधिकार है। उसे सांझा संपत्ति का उपयोग तथा आनंद लेने का पूरा अधिकार तब तक है जब तक कि उसे सह स्वामी की भी बराबर की हकदारी है। प्रत्येक सह स्वामी संयुक्त संपत्ति में किसी अन्य कानून के तहत रोके जाने तक, बराबर की रुचि रखने तथा निपटान करने का अधिकार उदाहरण के लिए मिताक्षरा कानून के तहत सह पट्टेधारी।

उपर्युक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि एक सह स्वामी अपने दूसरे सह स्वामी को अपनी संपत्ति दे सकते हैं। शब्द "निपटान" को कानूनी तौर पर "हस्तांतरण" के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते जैसा कि टीपीए में दिया गया है। इसे त्यजन शामिल हो सकता है।

(शॉप नं. 15, एसपीएन)

मत 38

विशेष विवाह अधिनियम की धारा 21 में स्पष्ट है कि कुछ समुदायों के सदस्यों में उपयोग के संबंध में भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1952 में निहित कोई प्रतिबंध के बाद भी इस अधिनियम के तहत हुए किसी व्यक्ति के विवाह की संपत्ति का उत्तराधिकारी और ऐसे विवाह से उत्पन्न उत्तराधिकारी की संपत्ति को कथित अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाएगा और इस धारा के उद्देश्य के लिए उक्त अधिनियम को अध्याय-III के पारा-V (पार्सी इन्टेस्टेट के लिए विशेष नियम) को हटा दिया गया है।

डॉ. पारस दीवान द्वारा लॉ आफ इन्टेस्टेट एवं टेस्टामेंटरी सक्सेशन पर एक पुस्तक के पृष्ठ 2,220 देखने के बाद यह पाया गया कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुए किसी व्यक्ति का विवाह अथवा पंजीकृत विवाह के उत्तराधिकार को संबंधित पक्ष के निजी कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जाता अपितु अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। तथापि यदि दोनों पक्ष जिनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुआ है वे हिन्दू हों तो दोनों में से किसी भी पक्ष की संपत्ति का उत्तराधिकार, हिन्दू कानून के अनुसार किया जाएगा। अर्थात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत न कि उक्त अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

यह मामले के तथ्यों द्वारा और अधिक जानकारी प्राप्त होती है कि दोनों पक्ष हिन्दू थे। जिसके फलस्वरूप उत्तराधिकार उपर्युक्त व्यक्ति किए गए हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जहां तक कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का संबंध है, धारा 8 में निर्वसीयत हिन्दू पुरूष की मृत्यु के पश्चात प्रथम वर्ग के रूप में उत्तराधिकारी के संबंध में जानकारी दी गई है। इसमें उक्त व्यक्ति की विधवा, पुत्र, पुत्रियां, माता आदि शामिल है।

विधवा शब्द, जैसा कि स्पष्ट किया गया है, में तलाकशुदा पत्नी को शामिल नहीं किया गया है, वैसे भी यह अत्यंत स्पष्ट है कि एक बार न्यायालय से तलाक प्रदान किए जाने पर पत्नी और पति के बीच कथित संबंध समाप्त हो जाते हैं और इस महिला को कथित पति की विधवा नहीं माना जाता। फलस्वरूप उक्त महिला अपने तलाकशुदा पति की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकती।

[प्लॉट नं. 12, राष्ट्रीय राजमार्ग-IV, लाजपत नगर]

मत 39

अन्य सह पट्टेधारक के पक्ष में एक अथवा एक से अधिक पट्टेधारक के लाभ प्रदान करने में हस्तांतरण नहीं आता जिससे कि अर्जित नहीं किए गए लाभ से संबंधित अनुबंध किया जाए। इसको निम्नलिखित में लागू किया जा सकता हैः-

1. जहां पट्टा देने वाले द्वारा आरंभ में पट्टा संयुक्त पट्टा धारकों के नाम किया गया और एक और सह पट्टाधारी अन्य सह पट्टाधारी/धारियों के पक्ष में रिलीज डीड जारी करता है।
2. मूल पट्टाधारी अपने नाम पट्टा को एक अथवा एक से अधिक व्यक्ति के नाम कर सकता है ऐसा हस्तांतर निःसंदेह अर्जित नहीं किए गए वृद्धि के भुगतान में प्रभावित होगा। हस्तांतरण करने पर ऐसा व्यक्ति सह पट्टाधारक बन जाएगा। यदि ऐसे संयुक्त पट्टाधारक में से एक अपने सह पट्टाधारक के पक्ष में रिलीज डीड जारी करते हैं तो उसे अर्जित नहीं किए गए वृद्धि के उद्देश्य के लिए हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।
3. यह संभव है कि मौजूदा पट्टाधारक अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को अपने पट्टे में लाभ का भागीदार किसी अन्य तरीके से जीवितों में हस्तांतरण करके बना सकता है (अर्थात पक्षों में)। इससे हस्तांतरण हो सकेगा जिससे कि अर्जित नहीं किए गए प्रतिज्ञापत्र को प्राप्त किया जा सके तथा लेने देने को सर्वप्रथम नियमित किया जा सके। मौजूदा संयुक्त पट्टाधारक के लाभ को अपने पक्ष में मौजूदा पट्टाधारी द्वारा हस्तांतर के नियमितिकरण की सहमति प्रदान किए जाने के पश्चात नया व्यक्ति सह पट्टाधारी बन जाएगा। अन्य शब्दों में ऐसे लेन-देन से मौजूदा पट्टाधारी द्वारा किसी अजनबी को पट्टा देने के माध्यम से लाभ का हस्तांतरण होगा। ऐसा हस्तांतर मौजूदा पट्टाधारी के संपूर्ण लाभ अथवा उसा विशिष्ट भाग हो सकता है। अतः नए पट्टाधारक को उपर्युक्त (i) और (ii) में संदर्भित सह पट्टाधारकों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अतः उसके शेष भाग के संबंध में मौजूदा पट्टाधरक द्वारा नए सह पट्टाधरक के पक्ष में रिलीज को हस्तांतर माना जाना चाहिए, न कि रिलीज।

उपर्युक्त तथ्य यह दर्शाता है कि अर्जित नहीं किए गए प्रत्येक हस्तांतरण पर इस हद तक भुगतान योग्य होंगे जब तक कि पट्टा प्रत्येक अवसर पर हस्तांतरण किया जाएगा, जबकि बिना किसी आगामी अवसर के इनके बीच किसी भी प्रकार का लेन देन अथवा व्यवस्था होने के लिए हस्तांतरण एक बार के हस्तांतरण के बीना लेनेदेन अनुमति योग्य है क्योंकि ऐसी व्यवस्था

में अर्जित नहीं किए गए वृद्धि के भुगतान का प्रश्न, पहले ही किया जा चुका है, नहीं उठता। किन्तु जहां एक स्तर पर हस्तांतरण संपूर्ण लाभ का नहीं होता वहां शेष लाभ के लिए अर्जित नहीं की गई वृद्धि जब और जैसे ही शेष लाभ के हस्तांतरण होने पर भुगतान योग्य बन जाती है।

यदि ऐसे पट्टाधारक उत्तराधिकार, निर्वसीयत अथवा वसीयतनामा के माध्यम से अन्य के साथ संयुक्त रूप से पट्टा का लाभ उठाते हैं तो अन्य के पक्ष में किसी एक पट्टाधरक द्वारा रिलीज के मामले में किसी प्रकार की अर्जित नहीं की गई वृद्धि भुगतान योग्य होगी।

<u>मत 40</u>

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत दो अथवा दो से अधिक गवाहों द्वारा वसीयत अधिप्रमाणित की जाएगी, जिसमें से प्रत्येक ने वसीयत में वसीयत करने वाले के हस्ताक्षर को देखा अथवा वसीयत में उसके निशान देखे हो अथवा उसकी उपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हों और वसीयतकर्ता के निदेश अनुसार अथवा वसीयतकर्ता से प्राप्त उसके हस्ताक्षर अथा चिह्न अथा किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर का व्यक्तिगत पावती और प्रत्येक गवाह वसीयतकर्ता के सामने वसीयत पर हस्ताक्षर करेंगे, किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि एक ही समय में एक से अधिक गवाह की उपस्थिति हो और किसी विशेष प्रमाणीकरण फार्म की आवश्यकता नहीं होगी। इसी अधिनियम के प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति चाहे वह वसीयत की संपत्ति में लाभार्थी है, को वसीयत का गवाह बनने से रोका नहीं जा सकता।

अतः यह कथित अधिनियम के सुसंगत धाराओं द्वारा स्थापित किया गया है कि पुत्र को भी वसीयत का अधिप्रमाणित गवाह बनने से नहीं रोका जा सका। इसी प्रकार लाभार्थी भी वसीयत में वैध गवाह हो सकते हैं।

[डी-213-214, पश्चिम पटेल नगर]

मत 41

अटार्नी ग्राहकों के पक्ष में मूल पट्टाधरक की ओर से पंजीकृत बिक्री विलेख कर सकता है, बशर्ते कि पावर आफ अटार्नी पंजीकृत होना चाहिए। पावर ऑफ अटार्नी के पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में गैर पंजीकृत पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर पंजीकृत बिक्री डीड नहीं बनाया जा सकता। भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धार 49 के अनुसार, "धारा 17 (अर्थात डीपीए 1882 के किसी अन्य प्रावधान) द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज को तभी पंजीकृत किया जाएगा" बशर्ते-

(क) इसमें किसी प्रकार की अचल संपत्ति हो, अथवा

(ख) अपनाने के अधिकार प्रदान करता हो, अथवा

(ग) ऐसी संपत्ति को प्रभावित करते हुए किसी लेन देन के साक्ष्य के रूप में प्राप्त अथवा ऐसे अधिकार प्रदान करना बशर्ते वह पंजीकृत हो बशर्ते कि पंजीकृत की जाने वाली संपत्ति को गैर पंजीकृत दस्तावेज अचल संपत्ति को प्रभावित कर रहा हो और इस अधिनियम अथवा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित हो, को विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 के अध्याय-एच के तहत विशेष निष्पादन के लिए करार में साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया हो और टीपीए 1882 के धारा 53-क के उद्देश्यों के लिए अनुबंध के पार्ट निष्पादन के प्रमाण के रूप में अथवा किसी जमानती लेन देन के साक्ष्य के रूप में पंजीकृत प्रणाली द्वारा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त प्रावधान की दृष्टि से यदि बिक्री विलेख को पावर ऑफ अटार्नी के आधार पर किए जाने वाले बिक्री विलेख के संबंध में उसका पंजीकरण किया जाना आवश्यक है।

[सी-502, डिफेंस कॉलोनी]

मत 42

धारा 17(i)(ख) में स्पष्ट है किः-

"अन्य गैर वसीयत संपत्ति जिसको वर्तमान अथवा भविष्य में किसी उपयुक्त शीर्षक अथवा लाभ से बनाने, घोषणा करने, सीमित करने के लिए उद्देश्य रखने अथवा संचालन करने चाहे वह 100/- रुपए की राशि में निहित अथवा आकस्मिक राशि अथवा अचल संपत्ति की वृद्धि के लिए हो, इसका पंजीकरण किया जाएगा। उपर्युक्त खंड के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि गैर वसीयत संपत्ति में व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए उसका भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(i)(ख) के तहत किया जाना चाहिए।

एआईआर 1969 ओडिशा पृष्ठ 11 में यह स्पष्ट है कि 100/- रुपए से अधिक कीमत की अचल संपत्ति को छोड़ना केवल पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से हो सकता है।

एआईआर 1967 एससी पृष्ठ 401 में यह पाया गया कि त्याग करने की डीड एक उपहार की प्रकृति का है "एक उपहार विलेख को भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(i)(क) के तहत पंजीकरण करवाना आवश्यक है।"

उपर्युक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि कानून में क्रियाशील होने के लिए त्यजन विलेख का पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है जब अचल संपत्ति में ब्याज के दावे की राशि जो कि 100/- रपए से अधिक हो।

इसके अतिरिक्त, भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 23 में स्पष्ट है कि "धारा 24, 25 और 26 में निहित प्रावधान के संबंध में वसीयत के अलावा कोई अन्य दस्तावेज पंजीकरण के लिए तभी स्वीकार किया जाएगा बशर्ते उसके लागू होने की तारीख से चार माह के भीतर उपयुक्त अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किया गया हो।"

भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 26 में भारत में निष्पादित किए गए दस्तावेजों के लिए प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें स्पष्ट है कि जब कोई दस्तावेज भारत के बाहर सभी अथवा किसी एक पक्ष द्वारा एवं दिए जाने के लिए तात्पर्यित को उसके समाप्त होने तक पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त पंजीकरण अधिकारी की ओर से निर्धारित किया जाता है यदि निम्नलिखित की पूर्ति होः-

(क) कि इस संपत्ति को प्रस्तुत किया गया।

(ख) भारत में उसे लाने के पश्चात चार महीने के भीतर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है, को पंजीकरण के लिए ऐसे दस्तावेज के अलावा उपयुक्त पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।

यह नैनसुख बनाम गोवर्धन दास एआईआर 1948 एनएजी 110 के मामले में हुआ था जहां एक दस्तावेज भारत में स्थित अचल संपत्ति को प्रभावित करता है, पंजीकरण नहीं होने तक वह वैध नहीं होता, चाहे उसका भारत के बाहर समाप्त हो।

उपर्युक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि त्याग डीड भारत के बाहर समाप्त होने पर पंजीकरण के लिए समाप्त नहीं माना जाएगा।
[एम-11/20, लाजपत नगर]

<u>मत 43</u>

विधि शब्दकोष पृष्ठ सं. 1293 में यह स्पष्ट किया गया है कि हस्तांतरण का अर्थ अपने आप में न्यायालय द्वारा इनविटिम में बिक्री को स्पष्ट करना उपयुक्त नहीं है इसलिए स्वैच्छिक हस्तांतरण के संबंध में प्रावधान न्यायालय बिक्री द्वारा हस्तांतरण के लिए लागू नहीं होता।

सार्वजनिक नीलामी विधि शब्दकोष में परिभाषित किया गया है कि "नीलामी में संपत्ति की बिक्री जहां कोई अथवा सभी व्यक्ति इसमें भाग लेने और बाली लगाने की अनुमति हो। तथापि यह शब्द लगातार प्रयोग होता है, किन्तु यह संदेहास्पद है कि क्या यह शब्द सार्वजनिक एक दवाब का संबोधन है क्योंकि नीलामी स्वयं प्रसार को बढ़ावा देती है। यदि निजी नीलामी जैसी कोई चीज होती तो वहां संपत्ति को सबसे अधिक बोलीकर्ता को बेच दी जाती किन्तु कुछ व्यक्ति अथवा व्यक्ति के कुछ वर्ग को उपस्थित रहने अथवा बोली लगाने की अनुमति दी जाती जैसा कि बंटवारा अधिनियम के तहत संपत्ति की बिक्री का एक मामला है, जहां बोली लगाने का अधिकार सह भागीदारों तक सीमित था।

"हस्तांतरण शब्द का बिक्री से अधिक विस्तृत अर्थ है हस्तांतरण पट्टा अथवा गिरवी अथवा बिक्री अथवा किसी अन्य तरीके से हो सकती है (भारत संघ बनाम मकसूद अहमद, ए.आई.आर. 1963-बीओएम-1110)।

मैंने मामला सं. 103/63 एवं 436/83 कन्हैया लाल बनाम श्रीमती जमुना देवी और अन्य में श्रीमती उर्मिला रानी द्वारा दिए गए दिनांक 19.1.1985 के निर्णय को देखा है। न्यायालय में आदेश दिया गया, "इस संपत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेजी जाएगी और उक्त बिक्री के पश्चात राशि को उल्लिखित व्यक्तियों के बीच कथित उनुपात में बांट दिया जाएगा"। यह निर्णय संयुक्त हिन्दू परिवार के बंटवारे के संबंध में दिया गया था।

उपर्युक्त विचार विमर्श के विचार से यह स्पष्ट है कि विधि शब्दकोष में शब्द हस्तांतरण शब्द की परिभाषा के अनुसार न्यायालय द्वारा इनविटिम में बिक्री को स्पष्ट करना उपयुक्त नहीं होगा और न्यायालय बिक्री द्वारा स्वैच्छिक हस्तांतरण के संबंध में प्रावधान हस्तांतरण के लिए लागू नहीं होगा।

बिक्री करने के लिए यदि हम हस्तांतरण परिभाषित करते हैं तो कोई फर्क उस मामले में नहीं पड़ेगा जहां खरीदने वाले सह पट्टाधारक है क्योंकि सार्वजनिक नीलामी में खरीददार कोई भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, बंटवारे अधिनियम के तहत संपत्ति की नीलामी के मामले में बोली लगाने का अधिकार केवल सह भागीदारों को ही होता है। तथापि, डिक्री शब्द से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह सह भागीदारों तक सीमित था अथवा बंटवारे और प्रतिपाद के लिए मामला होने के कारण ऐसी पूर्व धारणा की अधिक संभावना है।

<u>मत 44</u>

हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 5, अध्याय-2 प्रदान करता है:-

(1) इस अधिनियम के आरंभ होने के पश्चात किसी भी हिन्दू को अथवा उसके द्वारा इस अध्याय में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई दत्तक ग्रहण नहीं किया जाएगा और कथित प्रावधानों के उल्लेखन में किया गया दत्तक ग्रहण मान्य नहीं होगा।

(2) कोई भी दत्तक ग्रहण जो मान्य नहीं है वह दत्तक ग्रहण किए गए परिवार में किसी भई व्यक्ति के पक्ष में जिसको दत्तक ग्रहण के कारण द्वारा अपनाए जाने से कोई अधिकार नहीं होगा और उसके जन्म के पश्चात परिवार में किसी के अधिकारों को समाप्त नहीं करेगा।

दत्तक ग्रहण अधिनियम की धारा 6 वैध दत्तक ग्रहण के अपेक्षित नियमों को दर्शाते हैं। कोई भी दत्तक ग्रहण तब तक मान्य नहीं होता, जब तक,

(i) दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति के पास दत्तक ग्रहण करने की क्षमता तथा अधिकार हों
(ii) दत्तक ग्रहण के लिए देने वाले व्यक्ति के पास उक्त कार्य करने की क्षमता हो,
(iii) जिसका दत्तक ग्रहण किया गया हो वह व्यक्ति दत्तक ग्रहण किए जाने के योग्य हो,
(iv) दत्तक ग्रहण इस अध्याय में उल्लिखित अन्य शर्तों के अनुपालन में हो।

दत्तक ग्रहण और संभरण अधिनियम की धारा 11 का खंड (VI) स्पष्ट करता है किः

"दत्तक लिए जाने वाला बच्चा वास्तव में माता पिता अथवा संबंधित संरक्षक अथवा इस अधिकार अथवा उनके अधिकार में बच्चे को उसके जन्म लिए हुए परिवार से उसके दत्तक लिए जाने वाले परिवार द्वारा लिया और दिया जाना चाहिए। दत्तक देने और लिए जाने का समारोह वैध दत्तक ग्रहण के लिए अपेक्षित आवश्यकता है। (लक्ष्मण सिंह बनाम रूप कुमार एआईआर 1961 एससी 1878, काशीनाथ बनाम महादेव एआईआर 1977 पीएटी 199, कृष्ण चंदर साहू बनाम प्रदीप्ता दास एआईआर 1982 ओडिशा 114.1 सबसे बड़ी आवश्यकता है कि बच्चे वास्तविक माता पिता अथवा संरक्षक बच्चे को दत्तक ग्रहण किए जाने वाले माता पिता को सौंपे और दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता उक्त बच्चे को स्वीकार करें। (देवी प्रसाद बनाम त्रिवेणी 1970 एसीसी 1286) बच्चा दत्तक देने और लेने का समारोह बच्चे के दत्तक लिए जाने वाले परिवार में

उसके जन्म लिए जाने वाले परिवार से हटाकर रोपित किया जाना होता है (करतार सिंह बनाम सुरजन सिंह 1974 एससी 2161)। जहां दत्तक देने और लेने का समारोह नहीं होता वह दत्तक ग्रहण वैध नहीं होता।

जहां तक दत्तक देने और लेने के अधिनियम के अनुमान का संबंध इसे निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं किए जाने पर नहीं किया जाना चाहिएः

(1) एक दस्तावेज होना चाहिए।

(2) प्रचलित कानून के तहत उसे पंजीकृत होना चाहिए।

(3) उसका उद्देश्य किए गए दत्तक ग्रहण को दर्ज करना है।

(4) दस्तावेज में दत्तक देने तथा लेने वाले दोनों माता पिता के हस्ताक्षर होने चाहिए, न कि केवल एक के।

(5) उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (मो. अफताबुद्दीन खान बनाम चंदन विलासिनी एआईआर 1977 ओडिशा 69)।

हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 16 के तहत अनुमान तभी उठता है जब दत्तक ग्रहण विलेख बनाया तथा निर्धारित तरीके से पंजीकृत किया जाता है। (गज्जन सिंह बनाम बचन सिंह 1974 पीयूएनएलआर 50)

उपर्युक्त विचार विमर्श से यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक विभाग न्यायिक निकाय नहीं होने के कारण स्कूल प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर वैध दत्तक ग्रहण का अनुमान नहीं लगा सकती।
[205-बी/49]

<u>मत 45</u>

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 228 में निम्नलिखित स्पष्ट हैः

"जब कोई वसीयत राज्य के अधिकारी से ऊपर सक्षम न्यायिक न्यायालय में सिद्ध और प्रस्तुत कर दिया जाता है। भारत के अधिकारों के भीतर अथवा बाहर और वसीयत की अधिकार

अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दिए जाने पर ऐसी संलग्न प्रति के साथ प्रशासन की प्रति संलग्न करने की अनुमति दी जा सकती है।" ब्लॉकवुड एंड संस लि. बनाम पारासुरमन, एआईआर 1956, मद्रास 410 न्यायालय ने पाया कि इस धारा के तहत सहयोगी इच्छा लेख को प्राप्त करने में विफलता, अधिकारों को लागू करने के लिए धारा 218 के तहत प्रतिबंध लगा सकती है।

सुकुमार बनाम रागेश्वरी एआईआर 1939 सीएल, 237 के अन्य मामले में वसीयत करने वाली की वसीयत जो चंदर नागौर की रहवासी थी, जो फ्रांस क्षेत्र का भाग था ने ऐसी वसीयत तैयार की जिसके तहत उस बंगाल के 21 परगना में उसकी संपत्तियों की देखरेख प्रदान की। चंदरनगर के न्यायालय के पीठासीन न्यायाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर और सील के साथ वसीयत की अधिप्रमाणित प्रति प्रशासन की अनुमति के लिए याचिक के साथ संलग्न कर 21 परगना के जिला न्यायधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। मूल वसीयत जैसा कि फ्रांस के कानून के तहत आवश्यक था, को नोटरी के कार्यालय में रखा गया तथा उसे नहीं हटाया गया। यह पाया गया कि वसीयत फ्रांस के कानून के अनुसार वैध था तथा इस धारा के अनुपालन के लिए अधिप्रमाणित प्रति को प्रस्तुत करना पर्याप्त था। न्यायालय ने पाया कि शब्द "सिद्ध" "प्रोबेट के लिए प्रस्तुत" के समकक्ष नहीं है किन्तु उसका अर्थ है कि जहां यह कानून बनाया गया है उसके अनुसार अधिकारिक रूप से स्थापित के रूप में वैध है।

इस धारा के तहत पहले ही विदेश में बनाए गए अनुमति को प्रभावशाली बनाने के लिए सहयोगी अनुमति प्राप्त करना होता है। यह अधिनियम के अनुसार वसीयत के संलग्न प्रति अथवा उसके बिना प्रोबेट अथवा प्रशासन के पत्र की अनुमति नही है अपितु अधिप्रमाणित संलग्न वसीयत की प्रति के साथ प्रशासनिक अनुमति है।

उपर्युक्त विचार विमर्श की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि भारतीय न्यायालयों द्वारा सहयोगी अनुमति जारी किए बिना शीघ्र प्रोबेट को लागू नहीं किया जा सकता।

[ए-300, डिफेंस कालोनी]